

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

आजम कुमार फौज प्रथम पक्ष

बनाम

दिनेश महाराज वर्मा द्वितीय पक्ष

आदेश-पत्रक

(दिखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0
जिला-गिरिडीह ।

वाद संख्या 115 सन् 20...22
धारा 107 द0प्र0सं0

धारा 107 द0प्र0सं0
आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर क
गई कार्रवाई
बारे में टिप्पण
तारिख सहित

3

आदेश की
क्रम सं0
और तारिख

1

2

2/9/22

मैं थाना प्रभारी बगोदर के अप्राथमिकी
संख्या 23/22 के अवलोकन से संतुष्ट हूँ कि दोनों
पक्षों के सदस्यों के बीच R.A.N.J. को लेकर
विवाद उत्पन्न हो सकता है जिससे शांति भंग होने की संभावना बनी
हुई है। जो मेरे सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

अतः थाना प्रभारी, बगोदर के प्रतिवेदन से संतुष्ट
होकर उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द0प्र0सं0 का प्रक्रिया प्रारंभ
किया जाता है, तदनुसार नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 16/9/22 को रखें।

लेखापित

Aliraj
2-9-22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया।

Aliraj
2/9/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बगोदर-सरिया।

क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16/9/22	<p>अनामिका उपस्थित। प्रथम पद उपस्थित / द्वितीय पद उपस्थित। द्वितीय पद जवाब उपस्थित करें। 1/10/22</p>	
1/10/22	<p>प्रथम पद उपस्थित। TO 28/10/22</p>	
28-10-22	<p>प्रथम पद अनुपस्थित। TO 11/11/22</p>	
11/11/22	<p>प्रथम पद अनुपस्थित। द्वितीय पद उपस्थित। द्वितीय पद के बिना सुलह नामा पर हस्ताक्षर किया गया है द्वितीय पद के उपस्थित उपस्थित नाम होने के उपरान्त वाद के संशय के कारण जाता है। 11-11-22</p>	